फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

हेमाराम वगैरा बनाम अणदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 170/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.04.22	प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी की भूमि मौजा हदोणियों की ढाणी पटवार हल्का हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि में दखलअन्दाजी करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 23.05.22 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा हदोणियों की ढाणी पटवार हल्का हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 18.3241 हैक्टयर की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थी किसी प्रकार दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें एवं न ही सड़क से प्रार्थी की रहवारी ढाणी तक आने जाने के रास्ते को प्रभावित करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पक्षकारन् पाबन्द रहें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 23.05.22 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

04/05/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का
मूल वाद जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका
है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं
रहता है अतः प्रार्थी का उक्त स्थगन आवे-
दन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता
है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर
से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु